

16⁸/₂₄

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। पत्रावली के अनुरोध के अनुसार तीन बार आवाजें लगाई जाने के बावजूद वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अतः प्रकरण अदम लाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, पाली